संख्या-355/2026/2682/22-2-2023-17(403)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल उर्फ देव उर्फ छुट्टन पुत्र श्री सतपाल, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023) दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल उर्फ देव उर्फ छुट्टन पुत्र श्री सतपाल, जो ग्राम-बैलाना, थाना-ककोड, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 13.11.2006 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रूपया 50 लाख की फिरोती के लिये 03 वर्षीय कुमार अनन्त नामक बालक का अपहरण कर लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एसटी नं0-127/2007 में भा०द०वि० की धारा-364ए, 120बी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 26.09.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) वाद संख्या-136/08, भा०द०वि० की धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधि०), गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 28.11.2017 द्वारा 06 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने व बन्दी एक शातिर किस्म का अपराधी है यदि उसे रिहा किया गया तो उसके द्वारा पुनः अपराध कारित किया जा सकता है। बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 13.11.2006 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रूपया 50 लाख की फिरोती के लिये 03 वर्षीय कुमार अनन्त नामक बालक का अपहरण करने जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छत्रपाल उर्फ देव उर्फ छुट्टन पुत्र श्री सतपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल उर्फ देव उर्फ छुट्टन (बन्दी संख्या-138/14) पुत्र श्री सतपाल, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-355/2026/2682(1)/22-2-2023 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-355/2026/2682/22-2-2023-17(403)/2024

दिनांक: 06 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल उर्फ देव उर्फ छुट्टन पुत्र श्री सतपाल, जो ग्राम-बैलाना, थाना-ककोड, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। दिनांक 13.11.2006 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रूपया 50 लाख की फिरोती के लिये 03 वर्षीय कुमार अनन्त नामक बालक का अपहरण कर लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एसटी नं0-127/2007 में भा०द०वि० की धारा-364ए, 120बी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 26.09.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) वाद संख्या-136/08, भा०द०वि० की धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधि०), गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 28.11.2017 द्वारा 06 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने व बन्दी एक शातिर किस्म का अपराधी है यदि उसे रिहा किया गया तो उसके द्वारा पुनः अपराध कारित किया जा सकता है। बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 13.11.2006 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रूपया 50 लाख की फिरोती के लिये 03 वर्षीय कुमार अनन्त नामक बालक का अपहरण करने जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छत्रपाल उर्फ देव उर्फ छुट्टन पुत्र श्री सतपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।